न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 20/19 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

सायल

राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का खलीफे की बावड़ी

बनाम

गैरसायल

श्री याकूब पुत्र खाले मोहम्मद
जाति मुसलमान निवासी पाबूसरी
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु.। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खलीफे की बावड़ी ने रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम पाबूसरी के खसरा नंम्बर 803/368 रकबा 649 बीघा में से 20 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिर्पोट के अनुसार गैर सायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरियें नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पच्चास रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख खलीफे की बावड़ी को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे । पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 11.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार गडरारोड
तहसीलदार गडरारोड़

जुर्माना 50 फसल नि. 2200
कुल योग 2250 रजि.के पृष्ठ सं. 25
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया

(हस्ताक्षर)
तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned with CamScanner